

श्रीमान् जी मुताबिक राजस्व रिपोर्ट पटवारी रिपोर्ट
 1066, 1304, 1327 में प्रार्थी का नाम कानाराय पुत्र हनुमान खता सं. 1033, 1049, 1059, 1066, 1304, 1327
 द्वारा कार्ड व अन्य दस्तावेजों में नाम कानाराय पुत्र हनुमान गुर्जर है जहां
 प्रार्थी का नाम राजस्व रिपोर्ट में श्री कानाराय पुत्र हनुमान गुर्जर दिया जाना उचित है।

श्रीमान् जी, भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट
 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व हल्का नसीराबाद के
 अनुसार उचित किया जाना उचित है।

तहसीलदार की रिपोर्ट
 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/शेख कपाडताकि/ मूल
 शिविर प्रभाषी
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
 465
 क्रमांक/175

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:- 26-9-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कानाराय पुत्र हनुमान तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2072-75 के खाता संख्या 1033, 1049, 1059, 1066, 1304, 1327 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	कानाराय पुत्र हनुमान जाति गुर्जर शेख नद 282	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुशांषा		कानाराय पुत्र हनुमान जाति गुर्जर शेख नद 282	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुशांषा	

क्रमांक:- 508-19
 उतिलिपि:-

दिनांक:- 26-9-25

1. तहसीलदार नसीराबाद को जालना शिवाजी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर
 2. आदेश पत्रावली

